निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 ज्येष्ठ 1936 (श0)

(सं0 पटना 467) पटना, वृहस्पतिवार, 29 मई 2014

समाज कल्याण विभाग
(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

अधिसूचनाएं
19 मई 2014

सं0 2/सा0सु0–नेत्र0/मू0बधिर–02/2013 स0क0–2281––भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल राज्य के राजकीय मूक बधिर एवं नेत्रहीन विशेष विद्यालयों के शिक्षकों की भर्त्ती एवं सेवाशत्तों के विनियमन हेतु निम्नलिखित संवर्ग नियमावली बनाते है :–

बिहार राजकीय विशेष विद्यालय शिक्षक सम्वर्ग नियमावली, 2014

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।**–
(1) यह नियमावली बिहार राजकीय विशेष विद्यालय शिक्षक सम्वर्ग नियमावली–2014 कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विशेष मध्य एवं उच्च विद्यालयों में होगा।
(3) वह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत होगी।

2. **परिभाषाएँ।**– जब तक कोई बात, विषय या प्रसंग के विरूद्ध नहीं हो, इस नियमावली में–
(i) ''**सम्वर्ग**'' से अभिप्रेत है विशेष,; मध्य एवं उच्च विद्यालयों के सहायक शिक्षक;
(ii) ''**आयोग**'' से अभिप्रेत है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग;
(iii) ''**नियुक्ति प्रधिकार**'' से अभिप्रेत है, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय;
(iv) ''**सरकार**'' से अभिप्रेत है, बिहार सरकार;
(v) ''**विभाग**'' से अभिप्रेत है, समाज कल्याण विभाग;
(vi) ''**विशेष मध्य विद्यालय**'' से अभिप्रेत है, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मूक बधिर एवं नेत्रहीन विद्यालय, जहाँ वर्तमान में कक्षा आठ तक की शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध है;
(vii) ''**विशेष उच्च विद्यालय**'' से अभिप्रेत है, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मूक बधिर एवं नेत्रहीन विद्यालय, जहाँ वर्तमान में कक्षा दस तक की शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध है;
(viii) ''**सहायक शिक्षक**'' से अभिप्रेत है, विशेष मध्य/उच्च विद्यालयों में नियुक्त सहायक शिक्षक;
(ix) ''**सहायक प्रधानाध्यापक**'' से अभिप्रेत है, विशेष मध्य/उच्च विद्यालयों में नियुक्त सहायक प्रधानाघ्यापक;

(x) **''प्रधानाघ्यापक''** से अभिप्रेत है, विशेष मध्य/उच्च विद्यालयों में नियुक्त प्रधानाध्यापक;

(xi) **''अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति''** से अभिप्रेत है, सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के अश्रितों में से किसी एक की प्रासंगिक परिपत्रों/अनुदेशों के अनुसार, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति।

3. **संवर्ग का गठन एवं पदों का वर्गीकरण।–**

(1) इस नियमावली के निम्नलिखित पदों पर नियमित रूप से विभिन्न ग्रेड में पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक इस संवर्ग में शामिल होगें।

क्र०	विशेष मध्य विद्यालय	विशेष उच्च विद्यालय
1	सहायक शिक्षक (मूल कोटि का पद)	सहायक शिक्षक (मूल कोटि का पद)
2	सहायक प्रधानाध्यापक (प्रथम प्रोन्नति का पद)	सहायक प्रधानाध्यापक (प्रथम प्रोन्नति का पद)
3	प्रधानाध्यापक (द्वितीय प्रोन्नति का पद)	प्रधानाध्यापक (द्वितीय प्रोन्नति का पद)

(2) यह राज्यस्तरीय संवर्ग होगा और सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय के अधीन होगा।

(3) संवर्गीय पदों पर संवर्गीय शिक्षक पदस्थापित किये जाऐंगे परन्तु सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार गैर संवर्गीय शिक्षकों को भी संवर्गीय पदों पर पदस्थापित किया जायेगा।

4. **भर्ती ।–** (1) नियम–3 में वर्णित मूल कोटि के सभी पद सीधी भर्ती से भरें जायेंगे।

(2) नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल के आधार पर कोटिवार रिक्तियों की गणना करेंगे और आयोग को अधियाचना भेजेंगे।

(3) आयोग रिक्तियों को विज्ञापित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को मेधाक्रम में अभ्यर्थियों के नाम की अनुशंसा करेगा। मेधा सूची अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध रहेगी।

(4) सम्यक छानबीन के बाद नियुक्ति प्राधिकार द्वारा अभ्यर्थी की नियुक्ति परीवीक्षा पर तीन वर्षों के लिए की जायेगी।

(5) नियुक्ति एवं नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना होंगे।

5. **प्रोन्नति।–** सहायक शिक्षक, वरीयता सह योग्यता के आधार पर, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर अवधारित कालावधि पूरी करने पर, विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर, उच्चतर पदों पर प्रोन्नत किए जा सकेंगे।

6. **विभागीय प्रोन्नति समिति।** – विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन सचिव/प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जायेगा। प्रोन्नति समिति का गठन निम्नवत होगा :–

i.	निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय, बिहार, पटना	:–	अध्यक्ष
ii.	उप–सचिव या उससे उच्च स्तर के पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना	:–	सदस्य
iii.	सदस्य अनुसूचित जाति/जनजाति	:–	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित
iv.	सहायक निदेशक, (विषय के प्रभारी) सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय, बिहार, पटना	:–	सदस्य सचिव

7. **अर्हताएँ।–** नियुक्ति हेतु निम्नलिखित अर्हताएँ होगी।

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री।

(ख) नियमित विशेष B.Ed शिक्षा (दृष्टिबाधित/मूक बधिर) में दो वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण/दो वर्षीय पुनर्वास थेरापी में डिप्लोमा।

(ग) मान्यता प्राप्त नेत्रहीन/मुक बधिर विद्यालय में एक वर्ष का शिक्षण अनुभव तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम छहः माह का कम्प्यूटर सर्टिफिकेट/डिप्लोमा कोर्स।

(घ) भारतीय पुनर्वास परिषद से निबंधित।

8. **आरक्षण।–** भर्ती एवं प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित आरक्षण/रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।

9. **आयु।–** सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु आवेदन आमंत्रित करने वाले वर्ष के 01 अगस्त को 21 वर्ष से कम नहीं होगी एवं अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर विहित किया जायेगा। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0–62 दिनांक 05.01.2007 के आलोक में सभी वर्गो के शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयुसीमा में 10 वर्षो की छुट दी जायेगी।

10. **परीवीक्षा।**– प्रत्येक भर्ती तीन वर्षो के लिए परिवीक्षा पर होगी और विशेष परिस्थितियों में इसका विस्तार एक वर्ष के लिए नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा। यदि परीवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पायी जाय तो अवधि विस्तार केवल अगले एक वर्ष के लिए तभी किया जायगा, जब नियुक्ति प्राधिकार की राय में, परिवीक्षाधीन व्यक्ति में सुधार की गुंजाइश हो। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाती हो तो संबंधित व्यक्ति को सेवामुक्त कर दिया जायेगा।

11. **सम्पुष्टि।**– कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति के बाद, सेवा सम्पुष्ट किया जायेगा। परिवीक्षा अवधि में कार्य संतोषजनक है या नही, संबंधित सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा प्रतिवेदित किया जायगा, जिसके आधार पर निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय द्वारा निर्णय लिया जायगा।

12. **विभागीय परीक्षा।** – प्रत्येक वर्ष दो बार राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, महेन्द्रू, पटना द्वारा विभागीय परीक्षा का आयोजन किया जायगा। परीक्षा का पैटर्न तथा विषय राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा निर्धारित किया जायगा।

13. **वरीयता।**– अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति उन व्यक्तियों से कनीय होगें, जो संबंधित भर्ती वर्षों में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गये है।

14. **वेतन।**– विभिन्न कोटि के पदों के वेतनमान वही होंगे जो सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किया जायेगा या सरकार द्वारा समय–समय पर पुनरीक्षित समकक्ष वेतनमान के अनुसार होंगे। किसी भी वेतनमान में किसी शिक्षक का वेतन का निर्धारण सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

15. **छुट्टी।**– बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में अनुमान्य छुट्टी के प्रावधान विशेष विद्यालयों में भी लागू होगें।

16. **अवशिष्ट मामले।**– ऐसे मामलों के संबंध में, जो इस नियमावली द्वारा विशिष्ट रूप से आच्छादित न हों, सम्वर्गों के सदस्य राज्य सरकार समुचित स्तर के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लागू नियमावली, विनियमावली या आदेशों से शासित होंगे।

17. **कठिनाई का निराकरण।**– राज्य सरकार ऐसे सामान्य या विशेष आदेश द्वारा जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो और कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक एवं समीचीन हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेंगी।

18. **अनुशासनिक कार्रवाई।**– बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के प्रावधान लागू होंगे।

19. **निरसन एवं व्यावृति।**– (1) शिक्षकों की नियुक्ति एवं सेवाशर्त्तों से संबंधित सभी पूर्व आदेश एवं परिपत्र एतद् द्वारा निरसित किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, पूर्व आदेश एवं परिपत्र के अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जायगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत थी जब वैसा कुछ किया गया था वैसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रामाशीष पासवान,
सरकार के विशेष सचिव।

The 19th May 2014

No. 2/Sa.Su.-Netra/Mu.Badhir-02/2013 S.W.-2281—In exercise of the powers conferred under proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following cadre Rules for regulating the recruitment and conditions of service of the teachers of Government Deaf & Dumb and Blind Special Schools.

Bihar Government Special Schools Teachers Cadre Rules, 2014

1. **Short title, extent and commencement**- 1) These Rules may be called the Bihar Government Special Schools (Deaf & Dumb and Blind) Teachers Cadre Rules, 2014.
   2) It shall extend to special, middle and high schools operated by Social Welfare Department.
   3) It shall come into force from the date of issue of the notification.

2. **Definitions**.- In these Rules, unless anything repugnant in the subject of content:-
   (i.) **"Cadres"** means the Assistant Teacher of Special Middle and High School;
   (ii.) **"Commission"** means the Bihar Staff Selection Commission;

(iii.) **"Appointing Authority"** means Director, Directorate of Social Security and Disability;

(iv.) **"Government"** means the Government of Bihar;

(v.) **"Department"** means Social Welfare Department;

(vi.) **"Special Middle School"** means Deaf & Dumb and Blind School operated by Social Welfare Department, where management of education up to class eight is currently available;

(vii.) **"Special High School"** means Deaf & Dumb and Blind School operated by Social Welfare Department, where management of education up to class tenth is currently available;

(viii.) **"Assistant Teacher"** means Assistant Teacher appointed in the Special, Middle/High Schools.

(ix.) **"Assistant Principal"** means Assistant Principal appointed in the Special, Middle/High Schools.

(x.) **"Principal"** means Principal appointed in the Special, Middle/High Schools.

(xi.) **"Appointment on compassionate ground"** means appointment on compassionate ground of any one of the dependents of the government servant died during the service period, as per relevant circulars/instructions.

3. Constitution of Cadre structure and Classification of posts. – (1) Teachers appointed regularly in different grades to the following posts of these rules and working shall be included in this cadre:-

Sl. No.	Special Middle School	Special High School
(1)	Assistant Teacher (Post of Basic category)	Assistant Teacher (Post of Basic category)
(2)	Assistant Principal (Post of First promotion)	Assistant Principal (Post of First promotion)
(3)	Principal (Post of Second promotion)	Principal (Post of Second promotion)

(2) This will be state level cadre and will be under The Directorate, Social Security and Disability.

(3) Cadre teachers will be posted on the cadre posts, however, as per requirement, non-cadre teachers will also be posted by Government to the cadre posts..

4. Recruitment. – (1) All posts of Basic category mentioned in rule-3 shall be filled up by direct recruitment.

(2) The appointing authority shall calculate the vacancies on the basis of 1st April every year and shall send the requisition to the Commission.

(3) The commission shall advertise the vacancies and after selection of successful candidates on the basis of Competitive Examination shall recommend the names of the candidates in order of merit to the concerned appointing authorities. The merit list shall remain valid for one year from the date of receipt of recommendation.

(4) After the due verification, appointment of the candidates will be made on probation for a period of 3 years by the appointing authority.

(5) Director, Directorate Social Security will be the Appointing and Controlling officer.

5. Promotion. – Assistant Teacher may be promoted to the higher posts on the basis of seniority-cum-eligibility on completion of Kalavadhi determined, by the General Administration Department, from time to time on recommendation of Departmental Promotion Committee.

6. **Departmental Promotion Committee. –** Departmental Promotion Committee shall be constituted by the Secretary/Principal Secretary, Social Welfare Department. Promotion Committee shall be constituted as follows :-

i.	Director, Social Security and Disability Directorate, Bihar, Patna	:-	Chairman
ii.	Deputy Secretary or above, Department of Social Welfare, Bihar, Patna	:-	Member
iii.	Member SC/ST	:-	Nominated by General Administration Department, Bihar, Patna
iv.	Assistant Director, (Incharge of Special School) Social Security and Disability Directorate, Bihar, Patna	:-	Member Secretary

7. **Qualification. –** There will be following qualifications for the appointment:-
   a. Graduate degree from any recognized University;
   b. Pass in two years Regular diploma in Special B.Ed. (Blind/Deaf & Dumb)/Two years Diploma in Rehabilitation Therapy.
   c. One year teaching experience from recognized Blind/Deaf & Dumb School and minimum six months computer diploma/certificate course from recognized institutions.
   d. Registered with Indian Rehabilitation Council.
8. **Reservation. -** Compliance of reservation/roster in recruitment as well as promotion, notified by the State Government, from time to time, shall be necessary.
9. **Age. –** Minimum age for direct recruitment shall be 21 years as on 1st August of the year in which application shall be invited and maximum age shall be the same as may be determined by the State Government (General Administration Department) from time to time. Ten years of relaxation in maximum age limit will be given to physically handicapped applicant in every category according to the resolution no. 62 dated- 05-01-2007 of General Administration Department.
10. **Probation. -** Every appointment shall be on probation for two years and in special circumstances it may be extended for further one year by the appointing authority. If the probation period is not found to be satisfactory then such extension shall be made only for next one year if the appointment authority is of the opinion that the probationer has a chance to improve. If the service on probation is also not found satisfactory in extended period , then the concerned person shall be terminated from the service.
11. **Confirmation. -** The person appointed on probation, after satisfactory completion of probation period, shall be confirmed. The probation period is satisfactory or not it would be recommended by related Assistant Director, District Social Security Cell. On the basis of recommendation, Director, Social Security and Disability Directorate will take the decision.
12. **Departmental Examination.-** Departmental examination will be conducted by State Council for Education Research and Training, Mahendru, Patna, two times every

year. The examination pattern and subject will be decided by State Council for Education Research and Training.

13. **Seniority.** - The person appointed on the basis of compassionate ground shall be junior to such persons who have been appointed on the basis of Competitive Examination in the concerned recruitment years.

14. **Salary. -** Pay Band of the posts of different categories shall be such as may be sanctioned by the Government, from time to time or be according to the pay scale equivalent to the revised salary by the government, from time to time. Fixation of salary of teachers in any pay scale shall be according to the procedures prescribed by the Government.

15. **Leave. –** Provisions of leave in educational institutions operated by Education Department of the Government of Bihar shall also be applicable to Special Schools.

16. **Residuary matters.-** In respect of such cases, which are not specifically covered by these Rules, the members of the cadre shall be governed by the Rules, Regulations or orders applicable to the appropriate level of the officers/employees of the State Government.

17. **Removal of difficulties. -** If any difficulty arises in implementation of any provision of these rules, the state government may, by such general or special order, make such provisions not inconsistent with the provisions of these rules as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty, remove such difficulty.

18. **Disciplinary Action. –** Provision of Bihar Government Servants (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005 shall be applicable.

19. **Repeal & Savings.-** 1) All previous order and circulars related to the appointment and service conditions of the teachers are hereby repealed.

    2) Notwithstanding of such repeal, anything alone or any action taken under the previous orders or circulars will be deemed to be done or taken under these rules as if it were come into force when such anything had been done or such any action had been taken.

By order of the Governor of Bihar,
RAMASHISH PASWAN,
Special Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 467-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in